

शैक्षिक समाचार  
राजस्थान



शैक्षिक समाचार राजस्थान

शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय—प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोनेर (जयपुर)

क्रमांक—डाइट / गोनेर / 8वीं बोर्ड परीक्षा / 2021 / 105

दिनांक 19 / 08 / 2021

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी  
समस्त ब्लॉक, जिला जयपुर।

विषय:— प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा— 8) सत्र 2019–20 एवं 2020–21 की अंकतालिका संशोधन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देशन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा— 8) की अंकतालिका में नियमानुसार संशोधन कार्य स्थानीय संस्थान द्वारा किया जाता है। किन्तु सत्र 2019–20 एवं 2020–21 में कोविड-19 के कारण राज्य सरकार द्वारा कक्षा 8वीं की पर परीक्षाएं नहीं करवाये जाने के कारण इस कार्यालय में वांछित रिकार्ड मा.शि. बोर्ड अजमेर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया है। उक्त रिकार्ड के अभाव में सत्र 2019–20 एवं 2020–21 की डुप्लीकेट अंकतालिका एवं अंकतालिका संशोधन कार्य डाइट गोनेर द्वारा किया जाना संभव नहीं है।

अतः आप अपने अधीन समस्त संस्थाप्रधानों को इस आशय का पत्र जारी करें कि सत्र 2019–20 एवं 2020–21 की डुप्लीकेट अंकतालिका एवं अंकतालिका संशोधन कार्य हेतु विद्यार्थी/अभिभावकों को स्थानीय डाइट में न भेजकर शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालय स्तर से ही डुप्लीकेट अंकतालिका एवं अंकतालिका संशोधन कार्य सम्पादित करावें।

साथ ही आप द्वारा जारी निर्देशन पत्र की प्रति तत्काल ही इस कार्यालय की ईमेल आईडी— dietgoner@gmail.com पर प्रेपित करावें।

NNN  
(हरिओम कुमार मिश्रा) 19/8/2021

प्रधानाचार्य  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान  
गोनेर (जयपुर)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक) जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

NNN  
प्रधानाचार्य 19/8/2021  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान  
गोनेर (जयपुर)

कार्यालय मुख्य बॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन वी.आर.सी.एफ.,

समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर पूर्व, जयपुर

राउमावि, बजाज नगर के पास, डॉ. रामचंद्रगुप्त शिक्षा संकूल परिषद,

जै.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर - 302015

E-mail - jaipur\_east@yahoo.com

Tel. - 0141-2700519

क्रमांक :— सीवीईओ/जयपुर-पूर्व/जय/ 2021/ 135

दिनांक : 25.08.2021

समस्त यू०सी०ई०ई०ओ० / संस्था प्रधान,

(राजकीय / गैर राजकीय)

जयपुर पूर्व, जयपुर।

विषय:- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) सत्र 2019-20 एवं  
2020-21 की अंक तालिका संशोधन के संबंध में आवश्यक निर्देशन कारत।

संदर्भ:- डाईट गोनेर जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक डाईट/गोनेर/82ी/कोड  
परीक्षा/2021/105 दिनांक 19.08.2021।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण  
पत्र परीक्षा (कक्षा-8) की अंक तालिका में नियमानुसार संशोधन कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण  
संस्थान डाईट गोनेर, जयपुर द्वारा किया जाता है। किन्तु सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में  
कोविड-19 के कारण राज्य सरकार द्वारा कक्षा-8 वीं की परीक्षाएँ नहीं करवाये जाने के कारण  
उक्त कार्यालय में वाठिंत रिकॉर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजेंट द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया  
है। इसलिये रिकॉर्ड के अनाव में सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की दुल्हीकेट अंकतालिका एवं  
अंकतालिका संशोधन कार्य डाईट गोनेर द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः संस्था प्रधान सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की दुल्हीकेट अंक तालिकाएँ एवं अंक  
तालिका संशोधन कार्य हेतु विद्यार्थी/अभिनावकों को डाईट गोनेर में न मेज कर शाला दर्शन  
पार्टल के माध्यम से विद्यालय स्तर पर एसओआर० रेजिस्टर के अनुसार ही दुल्हीकेट अंक  
तालिका एवं अंक तालिका संशोधन कार्य सम्पादित करायें।

25/8/21  
मुख्य बॉक शिक्षा अधिकारी  
जयपुर पूर्व, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रैक्षित है :-

1. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा जयपुर।
2. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक) जयपुर।
3. श्रीमान प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट गोनेर, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

25/8/21  
मुख्य बॉक शिक्षा अधिकारी  
जयपुर पूर्व, जयपुर



# 8th बोर्ड अंक तालिका संशोधन ... Q ⚡

## कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक – शिविरा/प्राशि/पविप/प्राशिपूप/17

दिनांक : 11.10.2018

प्रधानाचार्य  
डाईट, समस्त

विषयः— प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2018 की अंकतालिकाओं में संशोधन बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2018 के T.R. उपलब्ध होने में विलम्ब के कारण जिले के समस्त विद्यालयों को निर्देशित करें कि अंकतालिकाओं में विद्यार्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, विद्यालय के नाम इत्यादि में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो तो संशोधन कर अभिलेख में इन्द्राज करें। जन्मतिथि संशोधन की सूरत में S.R. रजिस्टर संबंधित संस्था प्रधान आपके पास लेकर आवें। संशोधन स्कॉलर रजिस्टर में अंकित जन्मतिथि के मुताबिक ही किया जावें। डाईट कार्यालय में T.R. प्राप्त होने तक अलग से अभिलेख संधारित किया जावें।

  
समन्वयक एवं पंजीयक  
शिक्षा विभागीय परीक्षाएं,  
राजस्थान, बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

Email:- direcleshaldarshan@gmail.com

Phone : 0181.

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/९/१९४०२/घो.-२/५वी परीक्षा/२०१६/L-२ दिनांक:- ०५.०७.१७

द्वारा  
डाईट समस्त

विषय :-प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा-2017 एवं जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन-2017 के ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण-पत्र/अंकतात्तिका में संशोधन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा-2017 एवं जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन-2017 के ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण-पत्र/अंकतात्तिका में किसी तरह की त्रुटि ( बालक के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, जन्मतिथि तथा एस.आर. नम्बर आदि ) की रिथति में उक्त दोनों परीक्षाओं के संबंध में इस कार्यालय के माध्यम से पूर्व में प्रसारित श्रीमान शासन संघिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 14.09.16 को आयोजित हुई घैठक के घैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.10.2016 के दिनु संख्या 7 एवं इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी पत्रांक: शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एवी/५वी/घोड़/२०१५-१६/३७७ दिनांक: 07.09.16 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जाए।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/९/१९४०२/घो.-२/५वी परीक्षा/२०१६/L-२ दिनांक:- ०५.०७.१७

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-  
1- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के संबंधित विद्यालयों में उक्त निर्देश जारी करवाने का श्रम करावें।  
2- उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा समस्त को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ कार्यालयों से उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।

उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।  
3- पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर।  
4- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा समस्त को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ कार्यालयों से उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान

## कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डाइट) चूरु

फ्रमांक :-जिलेशिपल्स / चूरु / प्रा.शि.अ.स्तर मु. 2017

दिनांक :-10.05.2017

ख्लौक प्रा.शि. अधिकारी/पदेन पंचायत प्रा.शि. अधिकारी(समर्त)

जिला चूरु (राज.)

विषय :- जिला स्तरीय प्राधिकारिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2017 कक्षा 5वीं की अंकतालिका में  
प्रमाण पत्र में संशोधन बाबत।

उपरोक्त विषयान्वर्गत लेख है कि जिला स्तरीय प्राधिकारिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2017 कक्षा 5वीं की अंकतालिका में  
प्रमाण पत्र में बालक के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, जन्मतिथि तथा  
एस.आर.नम्बर आदि में हुई छिसी भी तरह की त्रुटि की रिप्रति में उसके निराकरण हेतु शाला के  
एस.आर. रजिस्टर में बालक की समर्त प्रविष्टियों से गिलान कर सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा  
बाहित संशोधन किये जायेंगे तथा मूल प्रमाण पत्र में जहाँ संशोधन किया जाये वहाँ संस्था प्रधान  
द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर वार अंकतालिका की प्राप्ति में संशोधन की सूचना सम्बन्धित ख्लौक  
प्राधिकारिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। सम्बन्धित ख्लौक प्राधिकारिक शिक्षा अधिकारी द्वारा  
अपने ख्लौक के समस्त संशोधन सकलित कर प्रधानाधार्य डाइट चूरु को दिनांक 15.05.2017 से  
पहले भिजायें।

इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्देश प्रदान करते हैं।

०५

प्रधानाधार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चूरु

प्रतिलिपि

1. श्रीमान निदेशक महोपय प्रा./मा. शिक्षा शीकानैर।
2. श्रीमान उपनिदेशक प्रा./मा. शिक्षा चूरु।
3. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी प्रा./मा. चूरु।
4. इवित प्रतावली।

०५

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :—शिविर/प्रारं/शैक्षिक/एवी/८वी बोर्ड/2015-16/उन्नत दिनांक :—२१।।।

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा  
(समस्त)

विषय:— प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा की अंकतालिका मय प्रमाण पत्र  
में संशोधन बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा की अंकतालिका मय प्रमाण पत्र में बालक के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, जन्मतिथि तथा एस.आर. नम्बर आदि में हुई किसी भी तरह की त्रुटि की स्थिति में उसके निराकरण हेतु शाला के एस.आर. रजिस्टर में बालक की समस्त प्रविष्टियों से मिलान कर सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा वांछित संशोधन किए जायेंगे तथा मूल प्रमाण पत्र में जहाँ संशोधन किया जाए वहाँ शाला प्रधानाध्यापक द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर व विद्यालय की एक लाईन की मोहर अंकित की जायेगी । संस्था प्रधान द्वारा किए गए इस प्रकार के संशोधन की सूचना मय एस.आर रजिस्टर में छात्र प्रविष्टि की छाया प्रति संलग्न कर प्रधानाचार्य सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) एवं सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी ।

इस संबंध में निर्देशानुसार आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्देश प्रदान करावें साथ ही जिन शालाओं की अंकतालिकाओं में मान्यता क्रमांक अंकित नहीं किये गये हैं उनकी मान्यता की प्रति लेकर ही शाला को अंकतालिका उपलब्ध करवाई जावे ।

  
अतिरिक्त निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि:—

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक के विद्यालयों के सम्बन्ध में उक्त निर्देश जारी करवाने का श्रम करावें ।
2. उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (समस्त) ।
3. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर ।
4. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (समस्त) ।

  
अतिरिक्त निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# आठवीं बोर्ड अंक तालिका में संस्था प्रधान सुधार सकेंगे गलतियां !

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

**राजसमंद/आईडाणा.** कक्षा आठवीं के लिए शैक्षणिक सत्र 2016 -17 में हुई प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2017 में अंक तालिकाओं में संशोधन संस्था प्रधान स्वयं कर सकेंगे।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर रखे हैं। आदेशों के तहत प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा की अंकतालिका मय प्रमाण पत्र के ऑनलाईन आवेदन करते समय विद्यार्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, स्कॉलर नम्बर में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई तो संबंधित संस्था प्रधान स्कॉलर रजिस्टर में अंकित प्रविष्टियों से मिलान कर संबंधित संस्था प्रधान द्वारा वांछित संशोधन किए जाएंगे।

साथ ही मूल प्रमाण पत्र में जहां संशोधन किया जाए, वहां शाला प्रधानाध्यापक द्वारा लघु

हस्ताक्षर एवं विद्यालय की एक लाईन की मोहर अंकित की जाएगी। संस्था प्रधान द्वारा किये गए इस प्रकार के संशोधन की सूचना मय स्कॉलर रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रति के साथ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 'डाइट' तथा संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को तीन दिन में भेजते हुए एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखनी होगी।

## हां किया है अधिकृत

आठवीं की अंकतालिकाओं में त्रुटि को सुधारने के लिए विभाग ने संस्था प्रधान को ही अधिकृत किया है। त्रुटि में सुधार की सूचना डाइट एवं बीईईओ को देनी होगी। विद्यालय में भी एक प्रति सुरक्षित रखना आवश्यक है।

**शातिलाल जाट,**  
परीक्षा प्रभारी, डाइट, नाथद्वारा

# शिक्षा... 8वीं बोर्ड की मार्कशीट में संस्था प्रधान कर सकेंगे संशोधन

कोटा | 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए कई छात्र-छात्राओं के एसआर नंबर सहित नाम, जन्मतिथि में त्रुटि रही गई है। इसमें सुधार के लिए संस्था प्रधानों को अधिकृत किया गया है। यदि किसी स्टूडेंट्स की अंकतालिका में त्रुटी रह गई है तो संबंधित संस्था प्रधान उनके निराकरण के लिए विद्यालय के एसआर रजिस्टर से प्रविष्टियों का मिलान कर संशोधन कर सकेंगे। जहां संशोधन किया है वहां शाला प्रधान अपने लघु हस्ताक्षर और विद्यालय की मोहर अंकित करेंगे। वहीं संस्था प्रधानों को संशोधन की सूचना एसआर रजिस्टर सहित अंकतालिका की प्रति और छात्र प्रविष्टि की छाया प्रति डाइट को भेजनी होगी।